

विचार बिन्दु

क्षमा कर देना दुश्मन पर विजय पा लेना है। –हज़रत अली

गैर जिम्मेदार मीडिया

क्यांपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र के तीन स्तंभ माने जाते हैं। मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में कई बार माना गया है। शासन के तीनों अंगों को अपना कर्तव्य याद दिलाते और जनता के मुहों को उनके समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी संस्था की स्वतंत्रता के साथ, ही जिम्मेदारी भी निर्धारित होती है। इस लेख में हम यह विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में मीडिया, क्या इस भूमिका को प्रभावी रूप से निभा रहा है अथवा नहीं?

मीडिया की बात करते हैं तो इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही मीडिया सम्मिलित है। आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। कुछ वर्षों पूर्व तक जब इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त करने हेतु पूरी तरह केवल समाचार पत्रों पर निर्भर थे। किसी भी घटना के बारे में लोग यह कहते थे कि यदि कोई खबर अखबार में छपी है तो सही ही होगी। यदि किसी अफवाह के बारे में कोई सही जानकारी चाहिए थी तो वे समाचार पत्र का इंतजार करते ताकि समाचार की सच्चाई को जांचा जा सके।

धीरे-धीरे समाचार पत्रों की विश्वसनीयता कम होने लगी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले दूरदर्शन आया, जो पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित था। समाचारों के साथ चित्र और वीडियो भी आने लगे। 199१ में निजीकरण और उदारीकरण की नीति आने के बाद निजी टीवी चैनल प्रारंभ हुए जिनकी संख्या समय के साथ तेजी से बढ़ते लगी। सूचना क्रांति में प्रगति के कारण घटनाओं के बारे में समाचार और आँडियो विबुअल लगभग 'रियल टाइम' में आने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही कोई घटना होती, उसका वीडियो बनाकर निजी स्टूडियो अपने-अपने चैनलों को भेजने लगे। यह माना गया कि अब खबरों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं होगा एवं लोगों को अफवाह फैलाने का अवसर नहीं मिलेगा। किंतु, हुआ इसके विपरीत और अनेक हानि अपने मालिकों की विचारधारा और व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए, उनके निर्देशानुसार समाचारों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने लगे।

कालांतर में, सोशल मीडिया भी बहुत तेजी से उभरा। यदि सरकार किसी घटना को छिपाना चाहती थी तो मोबाइल के माध्यम से साधारण नागरिक भी वीडियो बनाकर समाचार एजेंसी को भेजने लगे। अब केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी चैनल बड़ी संख्या में उपलब्ध है। गत कुछ सालों में यूट्यूब चैनलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ यूट्यूब चैनलों की दर्शक संख्या तो लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। चुनावों से पूर्व ध्रुव राठी, रवीश कुमार और संजय शर्मा के चैनल बहुत अधिक देखे जाने लगे। सरकार समर्थक यूट्यूब चैनल भी इसी प्रकार बहुत बढ़ते गए। सामान्य नागरिक के लिए यह तय करना बहुत कठिन हो गया कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं।

एक ओर जहां संचार तकनीक में अप्रत्याशित प्रगति से लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना के बारे में वीडियो सहित समाचार तत्काल उपलब्ध होने लगे, वहीं सबसे पहले लोगों तक समाचार पहुंचाने और 'टीआरपी' बढ़ाने की होड़ में कई प्रमुख चैनल अब भ्रामक और अपुष्ट समाचार को भी जनता तक प्रसारित करने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण अफवाहें बढ़ीं और कई बार समुदायों में तनाव भी उत्पन्न हुआ है ।

एक समय था जब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के समाचारों में किसी भी संप्रदाय के नाम का उल्लेख तक नहीं किया जाता था । आजकल ऐसा खुले आम होने लगा है। कई बार तो टी वी चैनलों में अलग-अलग दलों और सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को आपस में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, हाथपाई तक करते हुए देखा गया है। गत कुछ वर्षों में मीडिया भी एक प्रकार से दो भागों में बट गया है— एक जो सत्ता के अधभक्त के रूप में कार्य करता है और दूसरा जो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। यह दर्शकों के विवेक पर हो गया है कि वह किसको सच माने और किसको झूठा। सोशल मीडिया पर यदि कोई ऐसी पोस्ट डाल दे जो किसी की विचार धारा के अनुकूल न हो तो उस पर ट्रोल आर्मी टूट पड़ती है।

गत कुछ सालों में प्रमुख चैनल बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं। 2016 में प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी का निर्णय लिया था तो कई राष्ट्रीय चैनल 2000 के नए नोट में ऐसी चिप होने की बाद को प्रमाणित से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाने, जिससे नौट बंद होने वाले की लोकेशन सरकार पता कर सकती थी। कुछ समय बाद यह बात एकदम असत्य और आधारहीन निकली। तब भी किसी चैनल ने दर्शकों से माफ़ी तक नहीं मांगी। सरकार द्वारा भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार, कई प्रमुख राष्ट्रीय चैनल अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से देने लगे। इसके विपरीत, कई यू ट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया कि उन्होंने सरकार से सवाल करना प्रारंभ किया जिससे सरकार की स्थिति अटपटी हुई।

मुख्य मीडिया के गैरजिम्मेदारी पूर्ण रवैये के कुछ उदाहरण देने उपयुक्त होंगे।

22 अप्रैल 2025 को पहलगाण की आतंकी घटना जिसमें 2६ लोगों की हत्या की गई थी, उसे प्रसारित करते समय पूरा जोर इस बात पर था कि आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछ कर उसके आधार पर उनकी निर्ममापन से हत्या की। स्वाभाविक है इसका उद्देश्य देश में हिंदू-मुसलमानों के बीच घृणा और नफरत पैदा करना ही था। ऐसा करते वे एक प्रकार से आतंकवादियों के उद्देश्य को ही बढ़ा रहे थे। ऐसा करते समय इन चैनलों ने निष्पक्षता और जिम्मेदारी को पूरी तरह ताक पर रख दिया। यह तो इस देश के नागरिकों का विवेकपूर्ण व्यवहार ही था कि वे इस दुष्प्रचार के जाल में नहीं फंसे और एक जुट होकर आतंकियों के विरुद्ध खड़े रहे।

पहलगाण हत्याकांड में मारे गए सैनिक अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मीडिया पर जब यह कहा कि इसे हिंदू-मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखा जाए, अर्पितु इस पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई के रूप में देखा जाए, तो कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई

उन्होंने हिमांशी को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया।

22 अप्रैल से 6 मई, 2025 तक प्रमुख टी वी चैनलों पर प्रतिदिन इस विषय पर चर्चा और बहस कराई जाती रही। इन चर्चाओं में पाकिस्तान के पत्रकारों और पूर्व सेन्य अधिकारियों को भारत के प्रति जहर उगलाने का पूरा अवसर दिया गया। पाकिस्तान के

दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय चैनल, इसे निभाने में पूर्णतया असफल रहे। ऐसे मीडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि लोग इस प्रकार के मीडिया को देखना ही बंद कर दें । तभी, मीडिया के मालिकों को यह समझ आएगी कि देश की जनता विवेकशील है और अब उन्हें गलत 'ब्रेकिंग न्यूज़' के आधार पर भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

प्रतिनिधियों को ऐसे समय में राष्ट्रीय चैनलों पर बुलाया जाना नितांत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। एक ओर जहां विपक्ष के द्वारा सुरक्षा में हुई चूक के बारे में सवाल पूछने पर राष्ट्रीय चैनलों पर उन्हें देशद्रोही की संज्ञा दी गई, वहीं पाकिस्तान के चर्चा के चारों में सम्प्रतिष्ठत करके स्वयं अपने देशद्रोही होने का ही परिचय दिया। विवेचना तो यह है कि सरकार ने भी इन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।

7 मई, 2025 को भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के नौ ठिकानों को, हमले करके ध्वस्त कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक पाकिस्तान की ओर से ड्रोन एवं मिसाइल के माध्यम से भारत के कई स्थानों पर हमले किए गए और भारत द्वारा उसका भरपूर जवाब दिया गया । जहां प्रतिदिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी, कर्नल साफिया कुर्ेशी तथा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तथ्यवत्त जानकारी संतुलित और संयत भाषा का उपयोग करके उपलब्ध कराई, वहीं प्रमुख टी वी चैनलों ने सभी मर्यादाओं को ताक में रखकर असत्य, भ्रामक और उत्तेजनात्मक रूप से समाचार प्रसारित किए। अधिकांश बार सायनर की तेज आवाजें स्टूडियो में निकालकर देश में उन्माद का वातावरण फैलाया गया।

इन चैनलों ने हद तो तब पार दी जब इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षाध्यक्ष भागकर बंबरों में छुग गए हैं, कराची पोर्ट को भारतीय नेवी के आई एन एस विक्रान्त द्वारा हमला कर के नष्ट कर दिया गया है । इस्लामाबाद और लाहौर पर कब्जा होने वाला है। कुछ अति उत्साही एंकर ज़ेन ने तो यहां तक कहना प्रारंभ कर दिया कि शीघ्र ही पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा । ऐसा करके उन्होंने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य किया क्योंकि भारत का स्टैंड सदैव यह रहा कि उसकी सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया और वे केवल पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब अपनी सीमा में रह कर ही दे रहे थे।

जिस प्रकार से सायनर की आवाज स्टूडियो में सुनाई जाती थी और जिस प्रकार से निराधार रिपोर्टिंग प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों पर होने लगी थी, उसे देखते हुए भारत सरकार को यह निर्देश देने पड़े कि कोई मीडिया अपुष्ट और निराधार समाचार प्रसारित न करें। इस चेतावनी के बावजूद ये चैनल उसी प्रकार से निराधार और असत्य खबरें 10 मई तक दिखाते रहे। एक बार तो दूरदर्शन तक ने जम्मू कश्मीर के एक शिक्षक को भारत द्वारा किए हमले में मारे जाने वाला आतंकवादी बात दिया।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी, कर्नल साफिया कुर्देशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने जिस प्रकार शाही हई संतुलित और संयत भाषा में मीडिया को जानकारी प्रतिदिन दी, वह अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी की थी, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार ने यह कहा कि केवल सरकार की आधिकारिक रिपोर्टिंग को सही माना जाए, किंतु फिर भी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ चैनल गलत समाचार प्रसारित करने से बाज नहीं आए।कई बार तो पुरानी घटनाओं के विबुअल को काम में लेते हुए, गलत सूचना देने तक का काम करने लगे। स्थिति यहां तक हो गई कि, किसी को सही जानकारी चाहिए थी तो वह या तो भारत सरकार की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग को देखता अथवा बीबीसी से देखकर जानकारी प्राप्त करता।

10 मई 2025 को सायं 5:00 बजे से जब युद्ध विराम के संबंध में पहला टवीट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया तो देशवासियों को युद्ध विराम की जानकारी मिली। दोनों देशों ने, उसके बाद ही इसकी जानकारी देश को दी। युद्ध के समर्थक लोगों के लिए अचानक घोषित इस युद्ध विराम को स्वीकार करना बड़ा कठिन था ।फिर उसके बाद यह समाचार चलाए जाने लगा कि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। युद्ध विराम को भारत की जीत के रूप में प्रसारित किया गया। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका द्वारा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो उनकी मध्यस्थता की बात भी टवीट में कही ।

भारतीय विदेश सचिव द्वारा जब युद्ध विराम की जानकारी देश को दी गई तो उसके बाद लोगों ने उनकी एवं उनके परिवार को ट्रोल करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि उनकी बेटी के विरुद्ध घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें रक्षिकों की कवली बताते हुए उनके विरुद्ध असभ्य और अप्रभ्र भाषा का प्रयोग किया । वे भूल गए कि विक्रम मिसरी तो केवल भारत सरकार के विदेश सचिव के रूप में उस निर्णय की जानकारी देश को दे रहे थे जो सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया गया।

युद्ध जैसी स्थितियों में मीडिया की जिम्मेदारी अत्यधिक बढ़ जाती है और दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय चैनल, इसे निभाने में पूर्णतया असफल रहे। ऐसे मीडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि लोग इस प्रकार के मीडिया को देखना ही बंद कर दें । तभी, मीडिया के मालिकों को यह समझ आएगी कि देश की जनता विवेकशील है और अब उन्हें गलत 'ब्रेकिंग न्यूज़' के आधार पर प्रमित नहीं किया जा सकता है। हम तो आशा ही कर सकते हैं कि भविष्य में मीडिया अपना उत्तरदायित्व जिम्मेदारी के साथ निभाएगा।

—अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र भागवत

(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ऑपरेशन सिंदूर : भारत-पाक युद्ध में नागरिक कर्तव्य की अग्नि परीक्षा



राजेन्द्र राठौड़

22 अप्रैल 2025 – मानवता के इतिहास का वह काला दिन था जब कश्मीर के पहलगाण में पाक में बैठे आतंक के सगनाओं ने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर देश को भीतर तक झकझोर दिया था। इस हमले ने करोड़ों नागरिकों के हृदय में पीड़ा और आक्रोश भर दिया। बहनों का सिंदूर उजड़ गया, माताओं की गोद सूनी हो गई और पूरा राष्ट्र एक बार फिर आतंकवाद के घावों से कराह उठा। भारतीय सेना ने पहलगाण आतंकी हमले के जवाब में महज 15 दिन के भीतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और लगातार भारत में जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन, लडाकू विमान और मिसाइल से हमले किये जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम –400 ‘सुदर्शन चक्र’ ने पाक

युद्ध पर भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन रणनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, पाक नागरिकों को बापिस भेजने, आयात, हवाई मार्ग और जलमार्ग से परिवहन तथा डाक पार्सल सेवाएं पूर्णतः बंद करने जैसे कड़े निर्णय लिये हैं वो अभी जारी हैं। इस युद्ध का प्रभाव राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में साफ देखने को मिला। यहां ब्लैकआउट और रेड अलर्ट की स्थिति बनी रही

के सभी ड्रोन्स-मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया और हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को तहस-नहस कर दिया।

7 मई से 10 मई तक चलने वाले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और 10 मई को सीजफायर हुआ। भारतीय सेना ने महज चार दिनों में पाकिस्तान की आतंकी संरचनाओं, सैन्य ठिकानों और अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचाई और करीब 40 पाकिस्तानी सैनिक भी युद्ध में मारे गये। ऑपरेशन सिंदुर ने दुश्मन को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत किसी भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने की ताकत रखता है। सीजफायर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भली भांति समझ गया है कि भारत केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और आक्रामक रणनीति अपनाने को तत्पर है। यदि भविष्य में पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो वह सीधा ‘एकट ऑफ बार’ माना जाएगा और उसका परिणाम पहले से कहीं अधिक विनाशकारी होगा।

युद्ध पर भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन रणनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, पाक नागरिकों को बापिस भेजने, आयात, हवाई मार्ग और जलमार्ग से परिवहन तथा डाक पार्सल सेवाएं पूर्णतः बंद करने जैसे कड़े निर्णय लिये हैं वो अभी जारी हैं। इस युद्ध का प्रभाव राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में साफ देखने को मिला। यहां ब्लैकआउट और रेड अलर्ट की स्थिति बनी रही

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है। देश के प्रत्येक नागरिक की यह नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी

है कि वह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें। संविधान के भाग 4 (क) के अनुच्छेद 51 (क) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आत्मान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। संविधान के अनुच्छेद 23 (2) में राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर "सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा अधिरोपित" कर सकता है और ऐसा करते हुए नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वर्तमान युद्ध महज युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते हैं और न ही वह सिर्फ सैन्यबलों के द्वारा ही जीते जाते हैं इसमें आम नागरिकों की भी कई तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। जिसका उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट रूप से किया है।

इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार राज्य का कर्तव्य तय करने के लिए अनुच्छेद 51(क) में दर्ज मूल कर्तव्यों को बुनियाद माना है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं उसी प्रकार जब राष्ट्र संकट में हो तो अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिये। यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाल में सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना, हरकतें दुश्मन के हाथ में हथियार थमा



राजलदेसर के निकट ग्राम पंचायत बिनादेसर में बनी पानी की टंकी।

डाली जा चुकी है, लेकिन राजलदेसर से बंडवा तक 4.5 किलोमीटर तक पाइप लाइन नहीं डाली जाने के कारण पानी टंकी में नहीं पहुंच रहा है। उनमें से दो टच्यूबवेल पूरी तरह से खराब हैं। इसके लिए अधिकारियों को अनेकों बार अवगत करा चुके हैं लेकिन किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव के हालात ये हैं कि लोग मजबूरन निजी टैंकरों के माध्यम से 700 से 800 रुपए देकर पानी घरों में डलवा रहे हैं। विभागी की ओर से दो टैंकर लगाए गए हैं जो नाम मात्र के हैं। गौशाला के अंदर गौ माता के अंदर कुछ पानी है। हमें बिल्कुल

भी पानी नहीं आया। सरकार के लाखों रुपए बेकार साबित हो गए। वहीं गांव के अंदर तीन टच्यूबवेल हैं उनके अंदर बिल्कुल खारा पानी आता है। उनमें से दो टच्यूबवेल पूरी तरह से खराब हैं। इसके लिए अधिकारियों को अनेकों बार अवगत करा चुके हैं लेकिन किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव के हालात ये हैं कि लोग मजबूरन निजी टैंकरों के माध्यम से 700 से 800 रुपए देकर पानी घरों में डलवा रहे हैं। विभागी की ओर से दो टैंकर लगाए गए हैं जो नाम मात्र के हैं। गौशाला के अंदर गौ माता के अंदर कुछ पानी है। हमें बिल्कुल

है कि वह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें। संविधान के भाग 4 (क) के अनुच्छेद 51 (क) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आत्मान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। संविधान के अनुच्छेद 23 (2) में राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर "सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा अधिरोपित" कर सकता है और ऐसा करते हुए नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वर्तमान युद्ध महज युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते हैं और न ही वह सिर्फ सैन्यबलों के द्वारा ही जीते जाते हैं इसमें आम नागरिकों की भी कई तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। जिसका उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट रूप से किया है।

इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार राज्य का कर्तव्य तय करने के लिए अनुच्छेद 51(क) में दर्ज मूल कर्तव्यों को बुनियाद माना है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं उसी प्रकार जब राष्ट्र संकट में हो तो अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिये। यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाल में सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना, हरकतें दुश्मन के हाथ में हथियार थमा

हर भारतीय नागरिक बिना वर्दी का सिपाही है जिसका मूल कर्तव्य राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। संविधान में निरिज मूल कर्तव्य राष्ट्र की आत्मा हैं और जब जनता इसके साथ खड़ी होती है तब कोई भी शत्रु भारत को हरा नहीं सकता। हमें यह समझना होगा कि युद्ध केवल सैनिकों की नहीं, पूरे देश की लड़ाई होती है जिसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

– राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

ग्राम पंचायत बिनादेसर में 1० वर्ष से पीने के पानी का संकट, लोग परेशान

- लोगों को 4.5 किलोमीटर पाइप लाइन की वजह से खासियाजा भुगतना पड़ रहा है**
- गांव के लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई**

राजलदेसर के निकट ग्राम पंचायत बिनादेसर में बनी पानी की टंकी।

डाली जा चुकी है, लेकिन राजलदेसर से बंडवा तक 4.5 किलोमीटर तक पाइप लाइन नहीं डाली जाने के कारण पानी टंकी में नहीं पहुंच रहा है। उनमें से दो टच्यूबवेल पूरी तरह से खराब हैं। इसके लिए अधिकारियों को अनेकों बार अवगत करा चुके हैं लेकिन किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव के हालात ये हैं कि लोग मजबूरन निजी टैंकरों के माध्यम से 700 से 800 रुपए देकर पानी घरों में डलवा रहे हैं। विभागी की ओर से दो टैंकर लगाए गए हैं जो नाम मात्र के हैं। गौशाला के अंदर गौ माता के अंदर कुछ पानी है। हमें बिल्कुल

भी पानी नहीं आया। सरकार के लाखों रुपए बेकार साबित हो गए। वहीं गांव के अंदर तीन टच्यूबवेल हैं उनके अंदर बिल्कुल खारा पानी आता है। उनमें से दो टच्यूबवेल पूरी तरह से खराब हैं। इसके लिए अधिकारियों को अनेकों बार अवगत करा चुके हैं लेकिन किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव के हालात ये हैं कि लोग मजबूरन निजी टैंकरों के माध्यम से 700 से 800 रुपए देकर पानी घरों में डलवा रहे हैं। विभागी की ओर से दो टैंकर लगाए गए हैं जो नाम मात्र के हैं। गौशाला के अंदर गौ माता के अंदर कुछ पानी है। हमें बिल्कुल

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है। देश के प्रत्येक नागरिक की यह नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें। संविधान के भाग 4 (क) के अनुच्छेद 51 (क) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आत्मान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। संविधान के अनुच्छेद 23 (2) में राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर "सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा अधिरोपित" कर सकता है और ऐसा करते हुए नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वर्तमान युद्ध महज युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते हैं और न ही वह सिर्फ सैन्यबलों के द्वारा ही जीते जाते हैं इसमें आम नागरिकों की भी कई तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। जिसका उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट रूप से किया है।

इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार राज्य का कर्तव्य तय करने के लिए अनुच्छेद 51(क) में दर्ज मूल कर्तव्यों को बुनियाद माना है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं उसी प्रकार जब राष्ट्र संकट में हो तो अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिये। यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाल में सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना, हरकतें दुश्मन के हाथ में हथियार थमा

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है। देश के प्रत्येक नागरिक की यह नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें। संविधान के भाग 4 (क) के अनुच्छेद 51 (क) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आत्मान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। संविधान के अनुच्छेद 23 (2) में राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर "सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा अधिरोपित" कर सकता है और ऐसा करते हुए नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वर्तमान युद्ध महज युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते हैं और न ही वह सिर्फ सैन्यबलों के द्वारा ही जीते जाते हैं इसमें आम नागरिकों की भी कई तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। जिसका उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट रूप से किया है।

देती है। इसलिए शांति व सौहार्द बनाए रखना और प्रशासन के निर्देशों की पालना करना नागरिकों का कर्तव्य है। युद्ध के समय जवानों का मनोबल बढ़ाना, उनके बलिदान को सम्मान देना और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील रहना भी हमारा कर्तव्य है।

इतिहास गवाह है कि 1947-48 का कश्मीर युद्ध, 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा 1999 के कारगिल संघर्ष में भारत ने हर बार निर्णायक विजय हासिल की। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत एक बार फिर अपने संकल्प, साहस और सामरिक क्षमता से पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके चर में घुसकर मारा है। युद्ध की अवधि भले ही छोटी रही हो लेकिन इसने देश के जिम्मेदार नागरिकों को कई अमूल्य सीखें दी हैं। यह युद्ध हमें कर्तव्य परायणता, अनुशासन और एकजुटता का महत्व सिखा गया है। भविष्य की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सदैव सजग रहना चाहिए और अपने मूल कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए।

हर भारतीय नागरिक बिना वर्दी का सिपाही है जिसका मूल कर्तव्य राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। संविधान में निरिज मूल कर्तव्य राष्ट्र की आत्मा हैं और जब जनता इसके साथ खड़ी होती है तब कोई भी शत्रु भारत को हरा नहीं सकता। हमें यह समझना होगा कि युद्ध केवल सैनिकों की नहीं, पूरे देश की लड़ाई होती है जिसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

– राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

जेईई-एडवांस्ड-2०25 के एडमिट कार्ड जारी

कोटा, (निर्स)। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे कठिनतम और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस्ड के प्रवेश पत्र 11 मई को जारी कर दिए हैं। आईआईटी कानपुर ने तय समय से पूर्व ही वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक अपलोड कर दिया था लेकिन दोपहर बाद तक भी लिंक काम नहीं करने से स्टूडेंट्स परेशान होते रहे। ऐसे

में आईआईटी कानपुर द्वारा वेबसाइट नहीं चलने की स्थिति में स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और वॉट्सएप पर लिंक भेजे गए, जहां से स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स को फस्ट च्वाइस के आधार पर परीक्षा शहर भी आवंटित नहीं किया गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिन्हें सैकंड व थर्ड च्वाइस के आधार पर परीक्षा शहर आवंटित किए गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को काफी

परेशानी होगी। प्रवेश पत्र में परीक्षा संबंधी नियम भी जारी किए गए हैं। जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा 18 मई को देश के 222 परीक्षा शहरों में प्रातः 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। इस वर्ष आईआईटी कानपुर द्वारा परीक्षा करवाई जा रही है। जेईई-एडवांस्ड के लिए इस वर्ष 1.9० लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर कार्डसलिंग एक्सपर्ट अमित

राशिफल मंगलवार 13 मई, 2025

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:09 तक, वारियान योग प्रातः 5:53 तक, बालव करण दिन 11:31 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थितिः सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मेघ, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज कुमार योग प्रातः 9:09 तक है। राजयोग रात्रि 12:३6 से आरम्भ होगा। आज श्री नारद जयन्ती है।
श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:04 से 10:43 तक, लाभ अमृत 10:43 से 2:03 तक, शुभ 3:42 से 5:22 तक।
राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:02

मेघ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ चरता है। परिहारिक कार्य के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आमनन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिनचर्या में सुधार होगा।

कर्क
परिजन के व्यवहार के कारण मन विनम हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी।